

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी देवरी

राजाराम बनाम लक्ष्मी देवरी
 किस्म मुकदमा राजस्व 88 R.Aet नं. 115 सन 2016
 2016/00103

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/7/16	<p>पञ्जावली फोलाइन केम्य नडोल पेरा इजि प्रथी न डांफा प्रलु करि किंग विया धी मेरा नाम राजाराम वल्लु मोला कोम शईका साठ इ दरवाडा इज ठ जो सही गठी ठी मेरा नाम नाकरा 147 के मूडरक वल्लु खरना राजाराम वल्लु मोला इज इज था जिसी जमाववी स. 2032 के 2035 म भी राजाराम पुज मोला इज इज ठी के खरे विभाग के नपे खसरा नम्बर न इज कर नई जमाववी (सेरल कर की प्रथम परत के) रजाराक पुज मोला कोम शईका इज विया जो गलतु ठी जो सही नाम राजाराम मोला इज ठी। इय पर प्रकरन इज रजिस्टर विया गमा। लक्ष्मी देवरी के जॉय रिफरि वीजरी माफिक जॉय रिफरि में अकल इवामा कि बेयन ना क 147 का अफुस फाउंड भी राजाराम मोला इज था प्रलु कर सके विभाग की मिला बदाविल के रजाराक पुज मोला इज विया ठी अवा रजाराक पुज मोला के स्थान पर राजाराम पुज मोला इज विया जान उचित रहेगा।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 देवरी (पाली)

हमने फगावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का
अवलोकन करने पर पाया कि सीलमेंट विभाग
सेवन के शंभाराम पुत्र भोला के स्थान पर शंभाराम
पुत्र भोला दर्ज कर दिया जो कि एलकडीवस्त के
साक्षित है। जकादी शंभाराम का वास्तविक नाम
शंभाराम साक्षित होता है।

अतः पणिका प्रणाली स्वीकार किया
जाकर राजस्व रेकर्ड में जो हेल्दी के खानाबख्त
४१ में दर्ज नाम शंभाराम पुत्र भोला रसिका के स्थान
पर शंभाराम पुत्र भोला रुपे का सब इंटरव्यू दर्ज
करने के अधिश दिने जावे है उक्त अधिश च
पालना एक तहसील पर के लखीर जायी करपालना
निपटरी मंगवरी जका फगावली स्वीकार के लखीर
होकर साका के काम है।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)